(आ.जा.क.) मंडल

पृ.क्र.-	
पिछला	अगला

मध्यप्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय

क्रमांक / मु.स. / वन.अधि / R-62/14/3-25 भोपाल, दिनांक 27-1-2014

प्रति,

1 समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश

2 **समस्त कलेक्टर्स,**
मध्यप्रदेश

विषय–वन अधिकार अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन समय सीमा मे पूर्ण करने बाबत्।

प्रदेश मे वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन क्षेत्र मे उनके परम्परागत अधिकारो की मान्यता की कार्यवाही जनवरी 2008 से की जा रही है, परन्तु क्रियान्वयन के लगभग 6 वर्ष के अन्तराल के बाद भी वन अधिकारों के नवीन दावे अभी भी प्राप्त हो रहे है। इससे स्पष्ट है कि अभी भी कतिपय वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता से वंचित रह गये हैं।

2. **जन संकल्प 2013 के संकल्प क. 7.1 "वर्षो से खेती कर रहे जनजाति वर्ग के कृषकों को उनके कब्जे की वन भूमि** के शेष रहे पट्टे प्रदान करने हेतु विशेष अभियान/निरस्त दावों की पुनर्समीक्षा" के अनुसार जिले मे सुनियोजित रूप से विशेष अभियान चलाकर शेष रहे सभी पात्र वन निवासियों को उनके कब्जे की वन भूमि के हक प्रमाण पत्र दिये जाये। अधिनियम मे परिभाषित उनके परम्परागत सामुदायिक अधिकारो की मान्यता दिये जाने की कार्यवाही भी की जाये, साथ ही पूर्व मे निरस्त किये गये दावो की पुनर्समीक्षा की जाये।

3. **निरस्त दावों के पुनरीक्षण मे यह देखा जाए कि कहीं अनुचित रूप से** या राजस्व एवं वन विभाग के अभिलेखों मे सबंधित वन निवासी के कब्जे का साक्ष्य उपलब्ध होते हुए भी दावेदार द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण तो दावा निरस्त नही किया गया है। यदि ऐसा पाया जाता है तो विभागीय साक्ष्य को सम्मिलित करते हुये दावा मान्य करने की कार्यवाही की जाये। यह कार्यवाही हर हालत मे 31 दिसम्बर 2014 के पूर्व पूर्ण कर ली जाये। और मासिक प्रगति प्रतिवेदन आगामी माह से भेज दिया जाये।

4. अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी वन क्षेत्र का कोई भी ग्रामवासी जानकारी के अभाव में अपने वन अधिकार का दावा प्रस्तुत करने से वंचित न रहे।

आपसे अपेक्षा है कि आप अपने संभाग एवं जिले मे समय सीमा मे उपरोक्तानुसार कार्यवाही करायेंगे। और प्रतिमाह प्रगति प्रतिवेदन भी भेजेंगे।

20/1/14
(एॅन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

527
25.1.14